प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः ✓ /विधि संशो0/2020–21 लखनऊ,दिनांक 31 मार्च,2021

विषयः **उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली,1951 में संशोधन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–128/11–6–2021–एम(36)/2017 दिनांक 10.03.2021 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 में कतिपय संशोधन किये जाने सम्बन्धी, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्ताइसवां) संशोधन नियमावली, 2020 के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या–456/11–6–2020–एम(36)/2017 दिनांक 16.12.2020 के गजट की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति प्रेषित करते हुए अधिसूचना के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं

अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 16.12.2020 के गजट की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

संख्याः 5355 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1– समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त/वाणिज्य कर अधिकारी (जनपद प्रभारी), उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– मुख्यालय के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3– ज्वाइन्ट कमिश्नर, आई0टी0, वाणिज्य कर, मुख्यालय, गोमतीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित अधिसूचना को विभागीय एप्लीकेशन entertainmenttax.azurewebsites.net पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4– गार्ड फाइल।

(आनन्द तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर,
वाणिज्य कर, मुख्यालय।

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 456/11-6-2020-एम(36)/2017–उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1956) की धारा 13 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

4–नियम 4 का संशोधन–उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ नियमावली, 1951 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्–

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–लाइसेंस के लिए आवेदन– चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिये नया लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन, परिशिष्ट तीन में उल्लिखित प्रपत्र में लाइसेंस प्राधिकारी को किया जायेगा और उसमें परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियां सम्मिलित होंगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–	**4–लाइसेंस के लिए आवेदन–** चलचित्र प्रदर्शन अथवा डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रदर्शनों के लिये नया लाइसेंस प्रदान किये जाने हेतु आवेदन, परिशिष्ट तीन में उल्लिखित प्रपत्र में विभागीय वेब पोर्टल पर ही लाइसेंस प्राधिकारी को किया जायेगा और उसमें परिसर और चलचित्र मशीन/डिजिटल प्रोजेक्शन मशीन के स्वामित्व की पूर्ण विशिष्टियां सम्मिलित होंगी और उनके साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–
(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण-पत्र।	(क) सुसंगत उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मौलिक स्थल एवं परिसर योजना सहित परिसर तथा चलचित्र प्रोजेक्टर/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के स्वामित्व और 200 मीटर अर्द्धव्यास के भीतर पार्श्वस्थ परिसर से सम्बन्धित परिसर और सार्वजनिक मार्ग, जिससे भवन सटा हो, की अवस्थिति का प्रमाण-पत्र।
(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की ऊँचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।	(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित भवन योजना सहित मूल सन्निर्माण आदेश, जिसमें भवन की ऊँचाईयां तथा खण्ड, प्रस्तावित विद्युत प्रतिष्ठापन, संवातन, स्वच्छता तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था सम्मिलित है।

स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।	(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुसंगत उपबन्धों के अधीन अनुमोदित प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।
(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र।	(घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संरचनात्मक सुरक्षा तथा स्थायित्व सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित पूर्णता प्रमाण-पत्र/अधिभोग प्रमाण-पत्र।
(ङ) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपपिधियों के अनुरूप हैं।	(ङ) सम्बन्धित क्षेत्र के विद्युत सुरक्षा विभाग के उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का यह प्रमाण-पत्र कि विद्युत अधिष्ठापन अपेक्षित मानकों और विद्यमान नियमों और उपपिधियों के अनुरूप हैं।
(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण।	(च) उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम-13 और भवन एवं विकास उपविधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्वच्छता व्यवस्था का विवरण।
(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियॉ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।	(छ) सम्बन्धित क्षेत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (अग्निशमन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसकी अधिकारिता हो, का यह प्रमाण-पत्र कि उपलब्ध कराये गये अग्निशमन साधित्रों की व्यवस्थाएं और अग्नि के विरुद्ध अपनायी गयी सावधानियॉ विद्यमान नियमों और उपविधियों के अनुरूप है।
(छ) (एक) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा, यथा विहित रीति से आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् 30 दिन के भीतर लाइसेंस स्वीकृत करेगा या लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृत करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।	(छ) (एक) यदि आवेदन-पत्र, सभी प्रकार से पूर्ण है और आवेदक पात्र है तो तीस दिन के भीतर वेबपोर्टल के माध्यम से लाइसेंस स्वीकृत किया जायेगा और उसे ई-मेल के माध्यम से आवेदक को प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक उक्त लाइसेंस, विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता है।
(दो) आवेदक, आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित अपना आवेदन विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और आवेदक पात्र है, तो लाइसेंस 30 दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान किया जायेगा और उसे आवेदक को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया जायेगा। आवेदक, उक्त लाइसेंस, विभागीय वेब पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकता है।	(दो) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी उपखण्ड-(एक) के अधीन निर्धारित अवधि में लाइसेंस स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने में असफल रहता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर लाइसेंस स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।
परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य समझा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।	परन्तु यदि लाइसेंस तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या उसे दबाकर या कूट रचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जाता है तो ऐसा लाइसेंस अकृत और शून्य समझा जायेगा और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. **456/11-6-2020-M(36)/2017**, dated December 16, 2020.

NOTIFICATION

No. 456/11-6-2020-M(36)/2017

Lucknow, Dated: December 16, 2020

In exercise of the powers under section 13 of the Uttar Pradesh Cinema (Regulation) Act, 1955 (U.P. Act no. 3 of 1956), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 :

THE UTTAR PRADESH CINEMATOGRAPH (TWENTY-SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2020

1. Short title and commencement–(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Cinematograph (Twenty-Seventh Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule-4–In the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951, for rule 4 set out in Column I below, the rule as set out in Column II shall be substituted, namely :

Column I	**Column II**
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
4. *Application for a licence--*	4. *Application for a licence--*
An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system shall be made in the form mentioned in Appendix III to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and cinematograph machine/Digital Projection machine and shall be accompanied with the following documents-	An application for the grant of a new licence for cinematograph exhibition or exhibitions through digital projection system shall be made in the form mentioned in Appendix III only on the **departmental webportal** to the Licensing Authority and shall contain full particulars of the ownership of the premises and the cinematograph machine/Digital Projection machine and shall be accompanied with the following documents-
(*a*) The proof of ownership of the premises and cinematographic projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.	(*a*) The proof of ownership of the premises and cinematographic projector/digital projection system with the original plan of site and premises and the position of the premises in relation to adjacent premises and public through fares on which the building abuts, within a radius of 200 meters, approved by the competent authority under the relevant provisions.
(*b*) The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the Competent Autority under the relevant provisions.	(*b*) The original order of construction with building plan, which shall contain the elevations and sections of the buildings, the proposed electrical installations, arrangements for ventilation, sanitation and parking of vehicles approved by the Competent Autority under the relevant provisions.
(*c*) Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provisions.	(*c*) Plan of seating arrangements for each class, separately, approved by the competent authority under the relevant provisions.

Column I *Existing rule*	Column II *Rule as hereby substituted*
(*d*) Completion certificate/occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.	(*d*) Completion certificate/occupation certificate issued by the Competent Authority; with no objection certificate regarding structural safety and stability.
(*e*) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bylaws.	(*e*) Certificate from Deputy Director or Assistant Director of Electrical Security Department of concerned area or the person authorized by him that the electrical installations conform to the required standards and the existing rules and bylaws.
(*f*) The details of arrangements for sanitation conforming to the requirements of the rule 13 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 and the Building and Development bylaws;	(*f*) The details of arrangements for sanitation conforming to the requirements of the rule 13 of the Uttar Pradesh Cinematograph Rules, 1951 and the Building and Development bylaws;
(*g*) Certificate from Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.	(*g*) Certificate from Chief Fire Officer/Officer in-charge (Fire) of concerned area or the person authorized by him having jurisdiction that the arrangements for fire-fighting appliances provided and the precautions taken against fire conform to the requirements of the existing rules and bylaws.
(*h*) (*i*) On submission of application complete in all respect the licensing authority shall grant or refuse to grant license within 30 days after the date of submission of application in such manner as may be prescribed by the State Government, on expiry of said period the license shall be deemed to be granted.	(*h*) (*i*) If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, the license shall be granted through the web portal within thirty days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal.
(*ii*) The applicant may submit his application on departmental web portal along with necessary documents and payment of fees. If the application is complete in all respect and the applicant is eligible, license shall be granted through the web portal within 30 days and the same shall be sent through email to the applicant. The applicant may also download the said license from the departmental web portal :	(*ii*) If the licensing authority fails to grant or refuses to grant license under sub-clause (i) within the stipulated time then on the expiry of the said period the license shall be deemed to have been granted :
Provided if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against applicant.	Provided if the license is obtained by misrepresentation of fact or concealment of fact or on the basis of forged document then such license shall be deemed null and void and may be cancelled by the licensing authority and legal action shall be taken against applicant.

By order,
ALOK SINHA,
Add. Chief Secretary.

पी0एस0यू0पी0–41 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2021 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
पी0एस0यू0पी0–2 सा0 वाणिज्यकर–16-01-2021–500 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / आफसेट)।